pभारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या-336
दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पशु कल्याण बोर्ड

***336. डॉ. बायरेड्डी शबरीः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत और पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं द्वारा प्राप्त निधियों का ब्यौरा और इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को निधियां संवितरित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा निधियों के उपयोग का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा कराई गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और अनुपालन न करने वाले संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पशु कल्याण बोर्ड संबंधी लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 336 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, नामतः (1) नियमित और गोपशु बचाव अनुदान, (2) पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह, (3) संकटग्रस्त पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवाएं (4) आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण और टीकाकरण, और (5) प्राकृतिक आपदाओं के समय पशुओं को राहत।

पशुपालन और आवारा पशु नियंत्रण संबंधी प्रबंधन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) के पास सीमित निधियां हैं, जिसका संवितरण पशु कल्याण संगठनों (AWO) से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं के तहत एडब्ल्यूओ और गौशालाओं को आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा, जिसमें निधि के उपयोग की स्थिति भी शामिल है, अनुबंध-। पर दिया गया है।

(ग) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत मांग के आधार पर उन पशु कल्याण संगठनों तथा गौशालाओं को निधियां जारी की जाती हैं, जिन्हें योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र पाया जाता है। ये निधियां संबंधित राज्य पशुपालन विभाग से वित्तीय सहायता की सिफारिश करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं। निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने, प्रस्तावों की अपात्रता, अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट न होने या पहले जारी किए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के मामलों में निधि जारी नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने सभी संगठनों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) जमा करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें लेखापरीक्षित खातों सहित विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) शामिल होना चाहिए । निधि की अगली किस्त जारी करने से पहले इन दस्तावेजों की जांच की जाती है ।

एडब्ल्यूबीआई (AWBI) अधिकारियों ने निधि उपयोग की पुष्टि करने के लिए लाभार्थी संगठनों के सैम्पल निरीक्षण भी किए गए थे । इसके अलावा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने एडब्ल्यूओ को जारी निधि और उनके उपयोग की स्थिति सहित एडब्ल्यूबीआई की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जाती है । लेखापरीक्षा रिपोर्ट और साथ ही वार्षिक रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया। सीएजी (CAG) ने इन लेखापरीक्षाओं में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं दी हैं।

*****

अनुबंध-I
दिवस क्रमांक संख्या 16
लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 336
डॉ. बायरेड्डी शबरी
दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए मौखिक उत्तर

पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित, वितरित और उपयोग की गई निधि का विवरण

(रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**वर्ष 2020-21**			**वर्ष 2021-22**		
योजनाएं	**आवंटित निधि**	**संवितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**आवंटित निधि**	**संवितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**
नियमित अनुदान	1,30,00,000	1,30,00,000	1,30,00,000	1,99,00,000	1,99,00,000	1,97,84,600
पशु जन्म नियंत्रण	4,03,981	2,12,265	2,12,265	-	-	-
एम्बुलेंस	50,00,000	49,41,800	44,91,800	50,00,000	48,56,650	35,67,150
प्राकृतिक आपदा	-	2,00,000	-	-	-	-
आश्रय अनुदान	1,50,00,000	1,50,00,000	1,39,31,250	1,50,00,000	1,50,00,000	1,02,18,577

(रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**वर्ष 2022-23**			**वर्ष 2023-24**			**वर्ष 2024-25**		
योजनाएं	**आवंटित निधि**	**संवितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**आवंटित निधि**	**वितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**	**आवंटित निधि**	**संवितरित निधि**	**उपयोग की गई निधि**
नियमित अनुदान	4,45,00,000	4,45,00,000	4,35,94,000	4,50,00,000	4,08,20,675	3,49,58,075	61,02,355	39,98,350	39,23,350
पशु जन्म नियंत्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एम्बुलेंस	50,00,000	48,65,594	40,05,000	-	-		36,00,000	-	-
प्राकृतिक आपदा	5,00,000	5,00,000	5,00,000	-	-	-	-	-	-
आश्रय अनुदान	75,00,000	70,03,535	70,03,535	73,24,826	42,22,048	42,22,048	84,01,271	30,24,826	11,25,000

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-2025 तक पशु कल्याण संगठनों (AWOs) को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(अनुदान रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आश्रय गृह अनुदान		एम्बुलेंस अनुदान		प्राकृतिक आपदा अनुदान		नियमित अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान	
		कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	478800
2	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	3	188000
7	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	2	651800
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	1	1125000	0	0	0	0	14	2809450
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	11	10411095	10	4492150	1	500000	154	26947050
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	12000
15	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
16	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	1	1068750	0	0	0	0	18	2212625
18	मध्य प्रदेश	11	10722926	3	1302394	0	0	91	10130750
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
22	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ओडिशा	0	0	0	0	2	150000	0	0
24	पंजाब	2	2230711	0	0	0	0	1	150000
25	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राजस्थान	12	10974196	11	4879000	1	50000	395	39831075
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
28	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	3	75700
29	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0
30	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
31	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	4	1245000
32	उत्तर प्रदेश	7	7717731	8	3540500	0	0	325	37154475
33	पश्चिम बंगाल	0	0	0	450000	0	0	6	332300
		45	**44250409**	**32**	**14664044**	**4**	**700000**	**1022**	**122219025**